

क्रम

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तालीम
में जारी हुए

~~उक्त हुकम (राजवैज) में संश्लेषण है।~~

उक्त हुकम दर्ज किया जावे। पत्रावली फौजदारी
शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद
तकमील दाखिल दफ्तर है। निर्णय छले
न्यायालय में सुनाया गया।

Dr
11.10.18

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

11

* ② भगवानसिंह ③ सज्जनसिंह पुत्रगण श्रीकृष्णसाह
समस्त जाति राजपूत निवासी पावडा की ठाणी
तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.।
- वादीगण

बनाम

* ① पटवारी हलका बावडी
② बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा
रीगास जीएम मैनेजर।
- उत्तिवादीगण

* के लिए मुताबिक वादीगण के लक्ष्मणनाथ मप नजरी नक्शा
गें. मु. आम रास्ता चौकित किया जाता है। उक्त रास्ता
गें. मु. सिवामचक सार्वजनिक दर्ज किया जावे। उक्त
रास्ते का पूर्णतः उपयोग-उपभोग सार्वजनिक होगा। संपर्ण
में ही गई 400 वर्गमीटर भूमि को उत्तिवादी सं. 3 से रहन
मुक्त किया जाकर इसके बदले शेष क्वी भूमि ख. नं.
475/2 लम्बा 0.17 है. ख. नं. 472, 473 की भूमि पर
उत्तिवादी सं. 3 का रहन दर्ज किया जावे। उक्तानुसार
राजस्व रेकार्ड में समत दलामद हो।



Dr
11.10.19
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला